न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 68 / 2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नारायणराम पुत्र सवाराम जितियान माली निवासी जेतेश्वर धाम तह. सिणधरी जिला बालोतरा		1. ओमप्रकाश पुत्र हराराम 2. गोविन्दाराम पुत्र सवाराम 3. पारसमल पुत्र हराराम 4. मूलाराम पुत्र सवाराम 5. मांगीदेवी पत्नि हराराम 6. रतनलाल पुत्र हराराम जातियान माली निवासी जेतेश्वार धाम तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 7. चौखाराम पुत्र चेतनराम 8. जालाराम पुत्र चेतनराम 9. ठाकराराम पुत्र चेतनराम 10. बाली पत्नि चेतनराम 11. भगवानाराम पुत्र चेतनराम जातियान जाट निवासी जेतेश्वर धाम तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 12. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री सवाईराम सियाग, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी संख्या 12 के पेरोकार उपस्थित तथा शेष एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:51 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 02.07.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम जेतेश्वर धाम में खसरा संख्या 31 / 4 रकबा 6.0594 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम जेतेश्वर धाम में खसरा संख्या 31/4 रकबा 6.0594 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम जेतेश्वर धाम में खसरा संख्या 31/4 रकबा 6.0594 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम जेतेश्वर धाम में खसरा संख्या 31/4 रकबा 6.0594 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम जेतेश्वर धाम में खसरा संख्या 31/4 रकबा 6.0594 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी [illegible] स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश [illegible]। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:51 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम जेतेश्वर धाम में खसरा संख्या 31/4 रकबा 6.0594 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 02.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:51 IST
Reason: SelfAttested